मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 8-9/2010/नियम/चार भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर, 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय - मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अंतर्गत वेतन नियतन करने बावत् ।

संदर्भ - मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग का परीपत्र क्रमांक एफ -8/2009/नियम/चार, दिनांक 28-2-2009 एवं दिनांक 4-12-2009

--***--

संदर्भित ज्ञाप दिनांक 4-12-2009 द्वारा मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अंतर्गत वेतन नियतन की जांच का दायित्व संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन के अतिरिक्त राज्य शासन के सभी विभागों में पदस्थ मध्यप्रदेश वित्त सेवा संवर्ग के उप संचालक अथवा उससे वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा गया था । यह भी निर्देश थे कि वेतन निर्धारण की जांच दिनांक 31-3-10 तक पूर्ण कर ली जाये ।

2/ राज्य शासन के ध्यान में आया है कि कतिपय विभागों में अभी भी वेतन निर्धारण की जांच का कार्य शेष है । अतः अब यह सुनिश्चित किया जाये कि मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के तहत वेतन निर्धारण की जांच दिनांक 31-12-2010 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाये । सभी कार्यालय प्रमुखों के लिए यह अनिवार्य होगा कि जनवरी 2011 के वेतन देयक के साथ परिशिष्ट-1 पर संलग्न प्रारूप में प्रमाण-पत्र दें । प्रमाण-पत्र के अभाव में उनका माह जनवरी 2011 का वेतन आहरण नहीं किया जा सकेगा ।

3/ समस्त विभागाध्यक्ष का दायित्व होगा कि वह अपने विभाग के अंतर्गत वेतन पुनरीक्षण की जांच नियत तिथि तक पूर्ण कराये ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.पी. सिंघल)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

107Rule/sunita/paripat/107/ 9/21/2010

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 8-9/2010/नियम/चार भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर, 2010

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
18. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी ) मंत्रालय, भोपाल
19. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
21. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
22. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
25. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
26. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(मिलिन्द वाईकर)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

## परिशिष्ट-1

प्रमाणित किया जाता है कि (कार्यालय का नाम)........ .......................में पदस्थ समस्त शासकीय सवकों के समस्त वेतन पुनरीक्षणों की जाँच करा ली गई है तथा जाँच संबंधी प्रमाणीकरण संबंधित शासकीय सेवक की सेवा-पुस्तिका में अंकित है । दिनांक 31.12.2010 की स्थिति में इस कार्यालय में पदस्थ किसी भी शासकीय सेवक का पुनरीक्षित वेतन जाँच के लिए शेष नहीं है ।

प्रमाणीकरण की दिनांक .................

हस्ताक्षर

**(कार्यालय-प्रमुख का नाम)**

पदनाम.....................

कार्यालय का नाम ...............